व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि-वर्मीकम्पोस्ट

द्वारा

जय थौड़ माता -स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	जय थौड़ माता
वीएफडीएस नाम	::	बदरूनीजकराली
श्रेणी	::	कोटखाई
विभाजन	::	ठियोग

के तहत तैयार किया गया-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना
(जेआईसीए सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
2	लाभार्थियों का विवरण	5
3	गांव का भौगोलिक विवरण	5
4	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
5	उत्पादन प्रक्रियाएं	6
6	उत्पादन योजना	7
7	बिक्री और विपणन	7
8	स्वोट अनालिसिस	8
9	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	8
10	अर्थशास्त्र का विवरण	9
11	आय और व्यय का विश्लेषण	12
12	निधि की आवश्यकता	12
13	निधि के स्रोत	13
14	बैंक ऋण चुकौती	13
15	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
16	निगरानी पद्धति	14

पृष्ठभूमि

सरल उत्पादन तकनीक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग देश में मजबूती से पैर जमा रही है। उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, बड़ी संख्या में वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

वर्मीकंपोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो इसके स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

केंचुओं के पालन/उपयोग के माध्यम से खाद का उत्पादन वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचाकर बाहर निकाल देते हैं जिसे वर्मीकंपोस्टिंग या वर्मीकंपोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए खाद बनाने की सबसे सरल और लागत प्रभावी विधियों में से एक है। वर्मीकंपोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो लेकिन छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त हो। साइट जल संसाधन के नजदीक भी होनी चाहिए

वर्मीकंपोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मीकंपोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

1. /सीआईजी का विवरण

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	जय थौड़ माता एसएचजी
वीएफडीएस	::	बदरूनी जकराली
श्रेणी		कोटखाई
विभाजन	::	ठियोग
गाँव	::	बदरूनी
अवरोध पैदा करना	::	कलाला
ज़िला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	8
गठन की तिथि	::	10-08-2023
बैंक खाता सं.	::	-
बैंक विवरण	::	-
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/- रु.
कुल बचत	::	रु 800/-
कुल अंतर-ऋण		-
नकद क्रेडिट सीमा		-
पुनर्भुगतान स्थिति		-

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्र मां क।	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	शिक्षा	वर्ग	आय स्रोत	पता
1	संजीता (अध्यक्ष)	कुलदीप	30	बी ० ए	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी
2	पुष्पा (सचिव)	मदन दास	50	12 वीं	अनुसूचित जाति	कृषि	विलेज-बदरूनी
3	प्रोमिला पंवार (कोषाध्यक्ष)	गुलाब सिंह	42	8 वां	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी
4	प्रोमिला मलिक	प्रताप चंद	37	12 वीं	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी
5	सविता	संदीप	32	12 वीं	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी
6	शिबी देवी	लेफ्टिनेंट पूरन सुख	60	8 वां	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी
7	प्रोमिला	गोपाल दास	45	10 वां	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव - बदरूनी

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	95किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	15 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	खानेटी (15किमी)
3.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी		कोटखाई (32किमी)
3.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी		ठियोग (58किमी)
3.6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	::	गुम्मा , कोटखाई , ठियोग, शिमला

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	कृमि खाद
4.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है
4.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

कदम		विवरण
स्टेप 1		प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।
चरण दो		जैविक कचरे को बीस दिनों तक पूर्व-पाचन के लिए मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी -कम्पोस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चरण-3		वर्मी -कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है । ढीली मिट्टी से कीड़े मिट्टी में जा सकेंगे और पानी देते समय सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाएँगे।
चरण 4		वर्मी -कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह । पूरी तरह से खाद बनी सामग्री को अलग करने के लिए खाद बनी सामग्री को छानना। आंशिक रूप से खाद बनी सामग्री को फिर से वर्मी -कम्पोस्ट बेड में डाला जाएगा।

कदम		विवरण
चरण-5		नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी -कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करें ।

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (संख्या)	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर से और अपने खेतों से
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत		मुक्त बाज़ार
6.5	कच्चा माल - प्रति चक्र आवश्यक मात्रा (किग्रा) प्रति सदस्य	::	6 टन प्रति चक्र
6.6	प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन (किग्रा) प्रति सदस्य	::	3 टन (@50%) प्रति चक्र

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाज़ार स्थान	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग . स्थानीय बाजार अपने खेत पर उपयोग करें
7.2	इकाई से दूरी	::	
7.3	बाज़ार/स्थानों में उत्पाद की मांग	::	वन विभाग अपनी नर्सरी के लिए बड़ी मात्रा में वर्मी -कम्पोस्ट खरीद रहा है
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया		विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी -कम्पोस्ट की खरीद में सहायता करेगा ।
7.5	उत्पाद की विपणन रणनीति		भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के

			आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी खोज करेंगे।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7.7	उत्पाद "नारा"		" केंचुआ शक्ति "

8. स्वोट अनालिसिस

- ताकत
  - कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
  - प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक मवेशी हैं
  - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक अपशिष्ट की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है।
  - उनके खेतों पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है
  - विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
  - उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
  - परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
  - उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है
- कमजोरी
  - विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
  - तकनीकी जानकारी का अभाव
- अवसर
  - जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी -कम्पोस्ट की मांग बढ़ रही है
  - वर्मी -कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगा।
  - रसोई से निकलने वाले घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
  - एचपी फॉरेस्ट के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना
- खतरे/जोखिम
  - अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र टूटने की संभावना
  - प्रतिस्पर्धी बाजार

- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा
- गुणवत्ता आश्वासन – सामूहिक रूप से
- सफाई और पैकेजिंग – सामूहिक रूप से
- विपणन – सामूहिक रूप से
- इकाई की निगरानी - सामूहिक रूप से

10. अर्थशास्त्र का विवरण

क्र. सं.	विवरण	इकाइयों	मात्रा/संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
एक।	पूंजीगत लागत								
ए.1	गड्ढे और शेड का निर्माण								
1	निर्माण एवं श्रम लागत (गड्ढे का आंतरिक आकार 10 फीट x 4 फीट x 2 फीट होगा)	प्रति सदस्य	7	6000	42000	0	0	0	0
2	कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	7	4000	28000				
	उप-योग **(A.1)**				**70000**	**0**	**0**	**0**	**0**
.2	यंत्रावली और उपकरण								
3	औज़ार, उपकरण, तराजू आदि।	प्रति सदस्य	7	2000	14000	0	0	0	0
	उप-योग **(A.2)**				**14000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल पूंजीगत लागत **(ए.1+ए.2)**				**84000**	**0**	**0**	**0**	**0**
बी	आवर्ती लागत								
4	इकाई स्थापित करने के लिए भूमि का पट्टा	प्रतिवर्ष	10	0	0	0	0	0	0
5	बीज केंचुआ	प्रति किलोग्राम	10	500	5000	0	0	0	0
6	घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	0	0	0	0	0	0	

	श्रम लागत	प्रति टन	40	700	28000	29400	30870	32414	34034
7	पैकिंग सामग्री	नहीं।	200	50	10000	10500	11025	11576	12155
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	40	150	6000	6300	6615	6946	7293
सी	अन्य शुल्क								
9	बीमा	एल/एस			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		2 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				**53000**	**49200**	**51510**	**53936**	**56482**
	कुल लागत =(पूंजीगत लागत+आवर्ती लागत)				**197000**	**49200**	**51510**	**53936**	**56482**
डी	वर्मीकम्पोस्टिंग से आय								
11	वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री	टन	40	**6000**	**240000**	**252000**	**264600**	**277830**	**291722**
12	केंचुओं की बिक्री					**7500**	**15000**	**15000**	**15000**
13	कुल मुनाफा				**240000**	**259500**	**279600**	**292830**	**306722**
14	शुद्ध रिटर्न (कुल राजस्व-कुल (डीसी)**(240000-197000)**				**43000**	**210300**	**228090**	**238894**	**250240**

आर्थिक विश्लेषण

विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
पूंजीगत लागत	**84000**	**0**	**0**	**0**	**0**
आवर्ती लागत	53000	49200	51510	53936	56482
कुल लागत	**137000**	**49200**	**51510**	**53936**	**56482**

लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

11.आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार 10X4X2 फीट निर्धारित किया गया है।
- वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.2 रुपये प्रति किलोग्राम आती है
- वर्मी कम्पोस्ट (कंजरवेटिव साइड) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलोग्राम है
- शुद्ध लाभ 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी -कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 15 सदस्यों द्वारा 40 टन वर्मी -कम्पोस्ट का उत्पादन होगा ।
- केंचुए की कीमत 500.00 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है
- दूसरे वर्ष के बाद से , बिक्री के लिए अधिशेष मिट्टी का काम होगा (क्योंकि यह वर्मी -कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान बढ़ जाएगा)
- वर्मी -कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

12. निधि की आवश्यकता:

क्र म सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	84000	63000	21000
2	कुल आवर्ती लागत	53,000	0	53,000
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	**187000**	**113000**	**74000**

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत - परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 75% कवर किया जाएगा
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

13. निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा गड्ढे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा) • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	गड्ढे के निर्माण हेतु सामग्री की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा, इसमें शेड/शेड निर्माण की लागत शामिल है। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

14. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए का परिचय (सामान्य)
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक ऋण लिंकेज एवं उद्यम विकास
- एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

16. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

समूह सदस्यों की तस्वीरें -

क्रमांक ।	एसएचजी सदस्यों की तस्वीरें	नाम
1		संजीता
2		पुष्पा

3		रोमिला पंवार
4		प्रोमिला मालीक
5		सविता
6		शिबी देवी

7		प्रोमिला

तैयारकर्ता: स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा डीएमयू ठियोग, एफटीयू कोटखाई वन रेंज और जेआईसीए स्टाफ के परामर्श से ।

Annexure

We the member of group hereby consented to actively participate in the IG Activity opted by the group..Jai..Thand..Mata... as per the guideline of JICA Project For Improvement of HP Forest Ecosystems management and Livelihood and coordination with the VFDS.

The details of the members is as under:

S.No.	Name (Phone number)	Father/Husband Name	Age	Education	Category	Income Source	Address	Sign
1	Sanjita	Kuldeep	30	BA	SC	Agriculture	Vill. Badwni	Sraintha
2	Pushpa	Madan Das	50	12th	SC	Agriculture	Vill. Badwni	Pushpa
3	[illegible]	[illegible] Singh	42	8th	SC	Agriculture	Vill. Badwni	Pomila
4	Promila Malick	Partap Chand	37	12th	SC	Agriculture	Vill Badwni	Promila
5	Sunita	Sandeep	32	12th	SC	Agriculture	Vill Badwni	Sunita
6	Shibi Devi	Lt. Puran Sukh	60	8th	SC	Agriculture	Vill Badwni	[illegible] देवी
7	Promila Devi	Gopal Das	45	10th	SC	Agriculture	Vill Badwni	प्रोमिला देवी
8								
9								
10								

Business Plan Approval by VFDS

Jai Thond Mata Group will undertake the Vermi Composting As Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods (JICA Assisted) In this regard Business Plan of amount Rs. 187000 has been submitted by this group on Dated 10-03-2023 and the Business Plan has been approved by VFDS Kadrani Jakradi

Business Plan with SHG resolution is being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thank You

Shaintha
प्रधान
सचिव
जय थौड़ माता स्वयं सहायता समूह
कदरनी जकराड़ी, डा० प.पराली-दरकाली
तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

Signature of Group President

Pushpa
सचिव
प्रधान
... सहायता समूह
कदरनी जकराड़ी, डा० प.पराली-दरकाली
तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

Signature of Group Secretary

Resolution-cum –Group-Consensus Form

It is decided in the General House Meeting of the group ..Jai Thond Mata

Held on 10-08-2023 at ...Badruni.................that our group will undertake the Vermicomposting as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods (JICAAssisted)

Shaintha
प्रधान सचिव
Signature of Group President
बदरूनी-जकराडी, ग्रा0 प.पराली-बदरूनी
तह कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

Pushpa
प्रधान सचिव
Signature of Group Secretary
जय ... माता स्वयं सहायता समूह
बदरूनी-जकराडी, ग्रा0 प.पराली-बदरूनी
तह कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

1 Badruni Jakradi VFDS President President VFDS Badruni Jakradi	2. Jai Thond Mata SHG President प्रधान सचिव जय ठौड माता स्वयं सहायता समूह बदरूनी-जकराडी, ग्रा0 पं.पराली-बदरूनी तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)
3 Badruni Jakradi VFDS Secretary Member Secretary VFDS Badruni Jakradi	4. Jai Thond Mata SHG Secretary प्रधान सचिव जय ठौड माता स्वयं सहायता समूह बदरूनी-जकराडी, ग्रा0 पं.पराली-बदरूनी तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

Submitted to DMU through FTU Range Forest Officer
Forest Range Kotkhai

Name and Signature of FTU officer
Range Forest Officer
Forest Range Kotkhai

प्रधान / सचिव जय टौड माता स्वयं सहायता समूह बदरूनी- जकराड़ी, डा0 प0 पराली-बदरूनी तह कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.) Signature of SHGSecretary	प्रधान / सचिव जय टौड माता स्वयं सहायता समूह बदरूनी- जकराड़ी, डा0 प0 पराली-बदरूनी तह कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.) Signature of SHG President
Member Secretary.......... VFDS Badruni Jakradi Signature of VFDS Secretary	President.......... VFDS Badruni Jakradi Signature of VFDS President
Signature of Forest Guard	Treasurer.......... VFDS Badruni Jakradi Signature of [illegible]
Signature of RFO Range Forest Officer Forest Range Kotkhai	

Approved by DMU